भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 375
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से किए जा रहे आयात में बढ़ोतरी

375 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या यह सच है कि विगत कुछ वर्षों में भारत में चीन से किये जा रहे आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है;

(ख): यदि हां, तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग): विगत पांच वर्षों में चीन के साथ भारतीय निर्यात और आयात का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): और (ग): विगत पांच वर्षों में चीन से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात का विवरण वर्ष–वार रूप में निम्नानुसार हैः

मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में

वर्ष	आयात	निर्यात
2017-18	76.38	13.33
2018-19	70.32	16.75
2019-20	65.26	16.61
2020-21	65.21	21.19
2021-22	94.57	21.26

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

घरेलू उत्पादन और आपूर्ति, उपभोक्ता मांग और विभिन्न उत्पादों हेतु वरियताओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए आयात किया जाता है। कई आयात भारत में आगे विनिर्माण और भारत से निर्यात हेतु निविष्टियां होती हैं। आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें घरेलू क्षमता निर्माण करना/बढ़ाना, उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करना, चरणबद्ध विनिमार्ण योजनाएं, अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाना और एफटीए उद्गम के नियमों (आरओओ) को लागू करना शामिल है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग का एक 'आयात निगरानी प्रकोष्ठ' माह–वार आधार पर आयात में बढ़त की नियमित रूप से निगरानी करता है और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को सुग्राही बनाता है। "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2021" के तहत अनिवार्य पंजीकरण मोबाइल फोन सहित 63 अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों हेतु सुरक्षा मानकों का निर्धारण करता है। स्टॉक, बिक्री,

आयात, विनिमार्ण आदि इन मदों के वैध पंजीकरण और मानक चिन्ह के बिना निषिद्ध हैं। वाणिज्य विभाग का व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) अतिरिक्त शुल्क अथवा मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) लगाकर उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है यदि भारतीय उद्योग जगत 'गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त' है या आयातों में बढ़त या अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के कारण 'क्षतिग्रस्त होने के आशंका से ग्रस्त' है। वर्तमान में, 53 पाटन–रोधी उपाय और 4 प्रतिकारी शुल्क उपाय, अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के कारण चीनी उत्पादों पर लागू हैं।

*****